झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य 186 (प्र॰स्वी॰)/2017................/राँची/दिनांक..........................

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वाराः **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः **यॉंत्रिक प्रमंडल, बनासो के अन्तर्गत लोअर घाघरा जलाशय योजना के यॉंत्रिक कार्यो हेतु रू० 149.68 लाख (एक करोड़ उनचास लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत

1. यॉंत्रिक प्रमंडल, बनासो के अन्तर्गत लोअर घाघरा जलाशय योजना के यॉंत्रिक कार्यो हेतु रू० 149.68 लाख (एक करोड़ उनचास लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. **इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :–**

   (i) इस योजना के दाँया एवं बाँया नहर उसके शाखा नहरों के विभिन्न चेनेज पर 34 अदद् C/R गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

   (ii) उक्त गेंटों के इम्बेडेड पार्टस, उतोलन प्रणाली, प्लेटफार्म, रेलिंग, सीढी विभिन्न प्रकार के सील एवं सिविल कॉलम का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

   (iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

3. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, बनासो होगे।

4. **यह कार्य बजट शीर्ष :–**

   मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–800– अन्य व्यय –उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017–18, के सी॰ओ॰बी॰टी॰ में समेकित रूप में है।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

7. राशि की निकासी हजारीबांग कोषागार से की जायेगी।

8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

9. इन कार्यो को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी० एम० सी०/कार्य 186 (प्र०स्वी०)/2017..................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी० एम० सी०/कार्य 186 (प्र०स्वी०)/2017..................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी० एम० सी०/कार्य 186 (प्र०स्वी०)/2017..................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक प्रमण्डल, बनासो/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य 186 (प्र०स्वी०)/2017................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य 186 (प्र०स्वी०)/2017.................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य 186 (प्र०स्वी०)/2017 6417-18 प्र.ती. **/राँची/दिनांक** 12.12.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

12/12/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
12/12/17